

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक-

/FP/UK/ROAD/19786/2016 :देहरादून:दिनांक:

सितम्बर, 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:-जनपद चमोली के अन्तर्गत लंगासू-निवाड़ी-खेत-सिलंगी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.09 है० वन भूमि का गैर
वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:- भारत सरकार की पत्र संख्या-8बी/यू०सी०पी०/०६/७६/२०१७/एफ०सी०/११६४ दिनांक ०६-०९-२०१८

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित
वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त के अनुपालन में
अधिशाली अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर के पत्रांक 3468/12-1 दिनांक 16-04-2019 के द्वारा
सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित
किया जा रहा है :-

1. शर्त संख्या-1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 6.180 है० ग्राम-उमराकोट तल्ला
सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु देय धनराशि रू० 17,22,150.00
मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा कराया जा चुका है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक
वृक्षारोपण हेतु चिन्हित 6.18 है० ग्राम-उमराकोट तल्ला सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन किया
जा चुका है, म्यूटेशन किये गये भूमि के अभिलेख की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-1)
2. शर्त संख्या-2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन०पी०वी० की देय धनराशि रू० 20,30,100.00 मात्र ऑनलाईन
चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा कराया जा चुका है।
3. शर्त संख्या-3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एन०पी०वी० की बचनबद्धता का प्रमाण-पत्र संलग्न कर
प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-2)
4. शर्त संख्या-4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार कुल जमा की गयी धनराशि रू० 37,52,280.00
मात्र के ऑनलाईन Paid रसीद की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-3)
5. शर्त संख्या-5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित Strip Plantation के वचनबद्धता का
प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-4)

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि

भवदीय,

(डी०जे०के० शर्मा) 19/9/20

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या- /FP/UK/ROAD/19786/2016 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, बट्टीनाथ वन प्रभाग, गापेश्वर।
2. अधिशाली अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, गौचर (चमोली)।

(डी०जे०के० शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

o/c